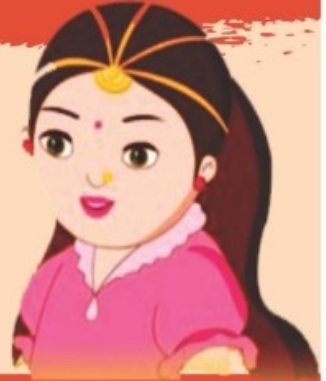


बाल विवाह का परित्याग, बनायेगा खुशहाल समाज

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है एवं कानूनन दण्डनीय अपराध है। बाल विवाह को रोकें।



बाल विवाह रोकथाम हेतु अधिक जानकारी के लिए राज्य, जिला एवं तालुका स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम पर सम्पर्क करें।



बालिका को बोझ ना समझे,
बल्कि बालिका को पढ़ाएं।



राज्य स्तर पर : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

जिला स्तर पर : जिला कलक्टर/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उपखण्ड अधिकारी

तालुका स्तर पर : अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार

हेल्पलाइन नम्बर

अजमेर - 8306002101	अलवर - 8306002102
बालोतरा - 8306002103	बांसवाड़ा - 8306002104
बारां - 8306002105	भरतपुर - 8306002106
भीलवाड़ा - 8306002107	बीकानेर - 8306002108
बूंदी - 8306002109	चूरु - 8306002110
चित्तौड़गढ़ - 8306002112	दौसा - 8306002114
घोलपुर - 8306002115	झुंझपुर - 8306002116
हनुमानगढ़ - 8306002118	जयपुर मेट्रो I - 8306002119
जयपुर मेट्रो II - 8306008220	जयपुर जिला - 8306002120
जैसलमेर - 8306002123	जालोर - 8306002126
झालावाड़ - 8306002127	झुंझुनू - 8306002128
जोधपुर मेट्रो - 8306002021	जोधपुर जिला - 8306002129
करौली - 8306002130	कोटा - 8306002131
मेड़ता सिटी - 8306002132	पाली - 8306002166
प्रतापगढ़ - 8306002134	राजसमंद - 8306002135
सवाई माधोपुर - 8306002136	सीकर - 8306002137
सिरोही - 8306002138	श्री गंगानगर - 8306002117
टोंक - 8306002139	उदयपुर - 8306002022



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com